संख्या : 1310 / 49--3--2010-100(19) / 2010

(16)

प्रेषक,

मोहन लाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उ0प्र0
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग--3

लखनऊ :: दिनांक :: 31 मई, 2010.

विषयः--चालू वित्तीय वर्ष 2010--11 के आय--व्ययक में अनुदान संख्या--18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में खरीफ एवं रबी फसलों के रसायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पी0सीएफ0 द्वारा किये गये व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 94 / बीज--उर्वरक / डी--70, दिनांक 19 अप्रैल, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रसायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010--11 के आयोजनेत्तर पक्ष में मूल बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 75.11 करोड़ (रू0 पचहत्तर करोड़ ग्यारह लाख) के सापेक्ष यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ द्वारा माह, फरवरी एवं मार्च, 2010 में उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण पर देय ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की मद पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :--

(धनराशि रूपये में)

माह का नाम	देय ब्याज	भण्डारण शुल्क	योग
फरवरी, 2010	91,43,571 / --	5,94,252 / --	97,37,823 / --
मार्च, 2010	30,59,256 / --	38,39,297 / --	68,98,553 / --
योग--	1,22,02,827 / --	44,33,549 / --	1,66,36,376 / --

2-- पी0सी0एफ0 द्वारा माह जनवरी, 2010 में उक्त योजना पर देय ब्याज एवं भंडारण शुल्क पर व्यय की गई धनराशि रू0 1,60,59,230 / -- (रू0 एक करोड साठ लाख उनसठ हजार दो सौ तीस) मात्र में से रू0 27,29,618 / -- स्वीकृत किया गया था तथा रू0 1,33,29,612 / -- (रू0 एक करोड़ तैतीस लाख उनतीस हजार छः सौ बारह) मात्र का भुगतान किया जाना शेष है। अतः पी0सी0एफ0 द्वारा माह--फरवरी एवं मार्च 2010 में देय ब्याज एवं भंडारण शुल्क पर व्यय की गई कुल धनराशि रू0 1,66,36,376 / -- (रू0 एक करोड़ छाछठ लाख तीन सौ छिहत्तर) मात्र तथा माह जनवरी, 2010 की अवशेष धनराशि 1,33,29,612 / -- (रू0 एक करोड़ तैतीस लाख उनतीस हजार छः सौ बारह) मात्र जिसका कुल योग रू0 2,99,65,988 / -- (रू0 दो करोड़ निन्यानवे लाख

----2 /

पैसठ हजार नौ सौ अठ्ठासी) मात्र होता है, की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है । उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय। विभाग द्वारा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि ब्याज तथा भंडारण शुल्क को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

(2) उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05-रसायनिक उर्वरको का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27 -सब्सिडी" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-2-380/दस-2010, दिनांक 28 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

संख्या-1310(1)/49-3-2010-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उप्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, निबंधक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0 लखनऊ ।
6- गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।